च्संहपंतपेउ ैबंद त्मचवतज

3: च्संहपंतपेउ

3: म्गंबज डंजबी

0: च्ंतजपंस डंजबी

97: न्दपुनम

वतके	1000
बैंतंबजमते	6040
मदजमदबमे	86
च्ंतहतंची	29
त्मंक ज्पउम	6 उपदनजम;द्ध
चमां ज्पउम	7 उपदनजम;द्ध

ब्वदजमदज बैमबामक थ्वत च्संहपंतपेउ

"प्रशिक्षण महाविद्यालय में अध्ययनरत प्रशिक्षुओं के शिक्षण–प्रशिक्षण प्रसार एवं गुणात्मकता का एक अध्ययन"

डॉ० चन्द्र भूषण कुमार
सहायक प्राध्यापक
संकाय (शिक्षा)
ज्ञान प्रकाश कॉलेज ऑफ एजुकेशन, चिरैला, गयाजी, बिहार

शिक्षा का महत्व एक सार्थक तथा उत्पादक जीवन की तैयारी से होता है। छात्रों के सर्वांगीण विकास में अध्यापक की अहम भूमिका होती है। अध्यापक को योग्य एवं कुशल बनाने में प्रशिक्षण संस्था का बहुत बड़ा योगदान होता है। भारत सरकार भी शिक्षा के स्तर को अत्यधिक बेहतर बनाने के लिए समय≤पर शिक्षा नीतियों का निर्माण करते रहती है। शिक्षा नीतियों को जमीन स्तर पर सफल बनाने के लिए पठन–पाठन सामग्री का निर्माण किया जाता है। इसे क्रियान्वयन करने के लिए अध्यापकों को प्रशिक्षण दिया जाता है। इसी प्रशिक्षण के माध्यम से छात्रों की अधिगम क्षमता को विकसित करने के लिए नित्य नए प्रयास किया जाता है।

प्रस्तुत शोध पत्र प्रशिक्षण महाविद्यालय में अध्ययनरत प्रशिक्षुओं के शिक्षण प्रशिक्षण प्रसार एवं गुणात्मकता पर प्रकाश डाला गया है। इस शोध–पत्र में समय≤पर भिन्न–भिन्न आयोग एवं समीतियों द्वारा गठित योजनाओं को शिक्षण–प्रशिक्षण के विकास एवं प्रचार–प्रसार पर प्रकाश दिया गया है। यदि शिक्षण प्रशिक्षण के साथ–साथ इसे गुणात्मक भी बनाया जाए तो हमारे प्रशिक्षु अधिक कुशल एवं योग्य अध्यापक बन सकेंगे जो राष्ट्रीय विकास एवं वृद्धि के लिए आवश्यक ही नहीं बल्कि अनिवार्य भी है। प्राचीन समय से ही भारतीय समाज में अध्यापक को भविष्य–निर्माण कहा जाता है, क्योंकि अध्यापक के द्वारा जिन छात्रों को शिक्षा दिया जायेगा वही छात्र भविष्य के भावी नागरिक बनकर राष्ट्र की उन्नति में विशेष योगदान देंगे। पूर्व राष्ट्रपति एवं शिक्षाविद डॉ० सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने कहा है कि "समाज में अध्यापक का स्थान बड़ा महत्वपूर्ण है। वह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी की वैदिक परंपराएँ तथा तकनीकी कौशल पहुँचाने का केन्द्र है और सभ्यताढ्ढ्ंताझ के प्रकाश से प्रज्जवलित रखने में सहायक है।" किसी भी देश का भविष्य उसकी आनेवाली पीढ़ी पर निर्भर होता है और उसका स्वरूप क्या होगा इसकी जिम्मेदारी अध्यापकों की होतीढ्ढ्ंताझ है, जिसके लिए शिक्षण–प्रशिक्षण महाविद्यालयों के द्वारा प्रशिक्षुओं को गुणात्मक प्रशिक्षण देकर एक कुशल अध्यापक का निर्माण करती है। यह कुशल प्रशिक्षण की प्रक्रिया उतनी ही अधिक मजबूत और सफल होगी।

स्वतंत्रता के बाद शिक्षा प्रणाली में गुणात्मक सुधार एवं समस्याओं का विश्लेषण करने के लिए और आगे का रास्ता सुझाने के लिए भारत सरकार के विभिन्न समितियों और आयोग को गठन किया। इस आयोग ने शिक्षक की गुणवत्ता में सुधार के लिए पूर्णकालिन और अंशकालिक, सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किये। आयोग ने आग्रह किया है कि शिक्षकों की व्यवसायिक तैयारी शिक्षा के गुणात्मक सुधार की कुंजी है और उपायों की सिफारिश जैसे शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम में गुणात्मक सुधार हो इसके लिए निम्न समितियाँ गठित की गय है।

’ कोठारी आयोग (1969–66)–इस आयोग ने भारत में शिक्षा की सभी पहलुओं की जांच की और शिक्षक शिक्षा के उत्थान के लिए उपयुक्त रणनीतियाँ और दिशा–निर्देशों को तैयार करने पर जोर दिया।

’ न्यायमूर्ति वर्मा समिति (2012)– में अध्यापक शिक्षा की गुणवत्ता और प्रभावशीलता में सुधार के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसमें शिक्षक शिक्षा को उच्च शिक्षा के व्यापक ढाँचे केढ्ढ्ंताझ साथ एकीकृत करने पर जोर दिया।

’ टी० एस० आर० सुब्रमण्ड़मय समिति (2016)– इसने नई शिक्षा नीति (छम्च्) के विकास हेतु अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी जिसमें शिक्षक प्रशिक्षण के आधुनिकीकरण के सुझाव शामिल थे।

’ राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा आयोग (त्ैन्।) और (न्ळब्) जैसी संस्थाएँ भी उच्च शिक्षा और प्रशिक्षणा संस्थानों में गुणवत्तापूर्ण सुधार, चॉइस वेस्ट क्रेडिक सिस्टम (ब्ठैै) और शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए दिशा–निर्देश जारी करती है।

वर्तमान समय में व्यक्ति के लिए शिक्षा की सबसे महत्वपूर्णक आवश्यकता उसका व्यावसायिक विकास करने के लिए है। निरन्तर बढ़ती प्रतियोगिता के कारण बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, जिससे व्यक्तिढ्ढ्ंताझ की आवश्यकताएँ पूर्ण नहीं हो पाती। अतः व्यक्ति की

आर्थिक उन्नति के लिए व्यावसायिक शिक्षा की अत्यंत आवश्यकता होती है। शिक्षा मानवीय एवं सामाजिक जीवन में जो कार्य करती है, राष्ट्र उससे प्रभावित होता है। उसकी चरित्र से राष्ट्र का चरित प्रभावित होता है। उसकी योग्यता एवं क्षमता पर राष्ट्र का विकास आधारित है। शिक्षा द्वारा ही राष्ट्रीय लक्ष्यों से अवगत होकर उसकी प्राप्ति के लिए प्रेरित होते हैं। किसी भी शिक्षण–प्रशिक्षण संस्थान की सार्थकता व गुणावत्ता अध्यापकों से परे हो ही नहीं सकती। इसलिए अध्यापक शिक्षण–प्रशिक्षण एक प्रकार से सभी उत्पादनों के लिए मानव पूँजी तैयार करने वाले राष्ट्र–निर्मात कहने का तात्पर्य कि नये अध्यापकों को तैयार करने वाला महत्वपूर्ण प्रकल्प है।

आज के प्रगतिशील भारत में आने वाले सामाजिक परिवर्तन, हिताधारी वर्गों की अपेक्षाओं के साथ–साथ वैश्वीकरण की आवश्यकताओं के अनुरूप सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर बल देना प्रत्येक शिक्षण प्रशिक्षण संस्थानों में अध्यापक एवं प्रशिक्षुओं को बहुत जरूरी है।

वर्तमान समय के माँगों के अनुसार गुणवत्तापूर्ण शिक्षा आदान–प्रदान करना पूर्ण रूप से अध्यापकों की गुणवत्ता पर निर्भर करता है। अध्यापकों की गुणवत्ता अध्यापक–प्रशिक्षुओं की व्यावसायिक दक्षता, अध्यापक शिक्षण–प्रशिक्षण संस्थाओं का उत्साह, प्रतिबद्धता एवं संरचानात्क बनावट के अकादमिक एवं शोध निर्धारित नवाचारी विचार व विकास के साथ–साथ सर्जनात्मकतापूर्ण अध्ययन व पाठ्यपुस्तक के क्रियान्वयन पर निर्भर करती है।

निष्कर्षः–

समग्र विकास की दृष्टि से शिक्षण–प्रशिक्षण की उन्नतशील होना बहुत आवश्यक माना जाता है। शिक्षण–प्रशिक्षण शिक्षा में भारी परिवर्तन के संकेत मिल रहा है। अध्यापकों की शिक्षण–प्रशिक्षण वर्तमान समाज की नयी माँगों के साथ–साथ परिवर्तनों, क्रियाओं, प्रयासों, अवधारणाओं को देखकर शिक्षण–प्रशिक्षण की प्रसार और गुणवत्ता पर और अधिक बल दिया जाना चाहिए।

संदर्भः–

1. अग्रवाल, जे० सी०, 2009, रिसेंट डेवपलमेंष्ट एंड ट्रेडस इन एजूकेशन, शिप्रा पब्लिकेशन, दिल्ली
2. एन०सी०ई०आर०टी० 2006, राष्ट्रीय पाठ्चर्या की रूपरेखा 2005, नई दिल्ली।
3. एम०एच०आर०डी० 1993 लर्निंग विदाउट बर्डन (यशपाल रिपोर्ट), नई दिल्ली।

षोध षीर्शक "प्रशिक्षण महाविद्यालय में अध्ययनरत प्रशिक्षुओं के शिक्षण–प्रशिक्षण प्रसार एवं गुणात्मकता का एक अध्ययन"

लेखकः डॉ0 चन्द्रभूशण कुमार (सहायक प्राध्यापक)

2026 लेखक

इस षोध पत्र में प्रस्तुत सभी सामग्री, जिसमें पाठ, तालिकाएँ आरेख, चित्र, विष्लेशण, निश्कर्श एंव अन्य बौद्विकता सम्मिलित है, पूर्णतः मौलिक है तथा भारतीय कॉपीरायट अधिनियम 1957 के अंतर्गत सुरक्षित है।

लेखक की पूर्व लिखित अनुमति के बिना इस षोध पत्र का कोइ भी भाग किसी भी रूप या माध्यम– मुद्रित इलैक्ट्रानिक, डिजिटल, फोटोकॉपी या अन्य किसी भी स्वरूप में पुनः प्रकाषित , पुनः उत्पादित, संग्रहीत या प्रसारित नहीं किया जा सकता है।

यह षोध पत्र किसी अन्य जर्नल में प्रकाषित नहीं है

ब्वदजपदनम त्मंकपदह थ्नसस त्मचवतजब्वदजमदज ंजिमत 1000 ूवतके ंतम सवबामक न्दसवबा थ्नसस ।बबमे

डंजबीमक ैवनतबम

पउपसंतपजल 3:

ज्पजसमरूदिल्ली विद्युत विनियामक आयोग

दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग छप्ज्ञ वित ैजंजमीजजचेरूध्ध्ूण्दपजपवितेजंजमेण्हवअण्पद ̄ ैछ ।क000209छप्ज्ञ वित जंजमीजजचेरूध्ध्ूण्दपजपवितेजंजमेण्हवअण्पद ̄ ैछ ।क000209च्क्थ्

ीजजचेरूध्ध्ूण्दपजपवितेजंजमेण्हवअण्पदध्चनइसपब.मजेध्व्वसपबलध्चवसपबलऋपिसमेध्ैछ ।क000209ण्चकि

Check By: Dupli Checker